कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी।

कार्यालय विज्ञप्ति

उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जनपद बाराबंकी के मुख्यालय एवं विभिन्न तहसीलों में पराविधिक स्वयं सेवकों (पी0एल0वी0) की नियुक्तियां की जानी है। नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए-

1- आवेदक भारत का नागरिक हो।

2- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

3- न्यूनतम अर्हता कक्षा-10 उत्तीर्ण हों। ऐसे व्यक्ति जो कम्प्यूटर संचालन में योग्य हों, उनके पास व्यक्तिगत मोबाइल/स्मार्ट फोन की सुविधा हो, को वरीयता दी जायेगी।

4- पराविधिक स्वयं सेवकों का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। प्रतिकूल आचरण पर 01 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है।

5- पराविधिक स्वयं सेवकों के पद नियुक्ति शायकीय सेवा में नियुक्त नहीं माना जायेगा और वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।

7- पराविधिक स्वयं सेवक निम्न में से किसी योग्यताधारक के रूप में आवेदन कर सकता है-

ए- किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट स्कूल और कालेज के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अध्यापक या लेक्चरर।

बी- आगंनबाड़ी कार्यकर्ती/कार्यकर्ता/आशाबहू, शिक्षाशास्त्र, सोशल सर्विसेज एवं ह्यूमेनिटीज के विद्यार्थी जो स्नातक या परास्नातक कर रहे हों।

सी- सरकारी अथवा प्राइवेट डाक्टर/सरकारी कर्मचारी/किसी भी विभाग के फील्ड आफीसर।

डी- गैरराजनैतिक अथवा प्राइवेट संस्थान/एन0जी0ओ0 के सदस्य/वालन्टियर व सामाजिक कार्यकर्ता।

ई- कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य/ट्रेड यूनियन के सदस्य आदि।

एफ- विधि की छात्र/छात्राएं जो शिक्षारत हों एवं अधिवक्ता के रूप में जब तक पंजीकरण न हुआ हो।

6- चयनित पराविधिक को माह में कम से कम 10 दिन एवं अधिक से अधिक 12 दिन का कार्य करना होगा।

7- पराविधिक स्वयं सेवकों को निर्धारित मानदेय 400.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा।

पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों, दिनांक-16.08.19 को सायं 4:00 बजे तक अपना आवेदन नियत प्रारूप पर स्पष्ट शब्दों में भर कर शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी में प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा। तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी व नियत आवेदन प्रारूप हेतु नोटिस बोर्ड अथवा किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक-06.08.19

(विष्णु प्रताप सिंह)
प्रभारी सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी।

प्रतिलिपि-

1- श्रीमान नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को सादर सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में।

2- सहा0 सूचना निदेशक बाराबंकी को दैनिक समाचार पत्रों में आश्यक रूप से छपवाये जाने हेतु।

3- प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बाराबंकी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।

4- समस्त तहसीलदार/सचिव तहसील विधिक सेवा समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी।